निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1940 (श0)

(सं0 पटना 268) पटना, शनिवार, 23 फरवरी 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

23 फरवरी 2019

सं० एल०जी०–01–02/2019/1520 लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 फरवरी 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

(झ) "राज्य" में सम्मिलित है बिहार राज्य की सरकार, विधानमंडल और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार एवं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान;

3. **प्रयोज्यता (नियुक्ति करने के संबंध में)।– यह अधिनियम निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगा :–**

(क) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन;

(ख) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन;

(ग) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन;

(घ) जो स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हों;

(ड़) जो किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति से रिक्त होता हो;

(च) 45 (पैंतालीस) से कम दिनों के लिए अस्थायी नियुक्तियाँ;

(छ) सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति, और–

(ज) ऐसे अन्य पद जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे,

4. **सीधी भर्त्ती के लिए आरक्षण।–**

(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियों में, जो सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जाने वाली हो, 10 प्रतिशत रिक्तियाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी।

परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(2) अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि में की जायेगी।

5. **शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण ।–**

(1) पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी।

परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(2) अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि में की जायेगी।

(3) बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा दी गई आरक्षण प्रतिशत एवं उनके द्वारा, समय–समय पर दी गई संशोधित आरक्षण प्रतिशत के सिवाय कोई अन्य आरक्षण नहीं दिया जायेगा।

6. **अभिलेख मांगने की राज्य सरकार की शक्ति।–** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई सदस्य, जो नामांकन पदाधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुपालन के चलते नामांकन प्रभारी पदाधिकारी के किसी कार्रवाई द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित होता है तो वह राज्य सरकार को इस तथ्य की सूचना दे सकेगा और उसके द्वारा आवेदन करने पर, राज्य सरकार, वैसे अभिलेखों को मंगा सकेगी या उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे।

7. **सद्भावना पूर्व की गई कार्रवाई के लिये किसी कार्यवाही का वर्जन ।–** कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित नहीं की जायेगी, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या किये जाने के लिए आशायित हो।

8. **शास्ति।–** यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी या नामांकन प्रभारी पदाधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन में नियुक्ति/नामांकन करता है तो वह ऐसे जुर्माने से जिसे एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या ऐसे कारावास से जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

9. **कठिनाईयों का निराकरण।–** यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकेगी या ऐसे आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनिमय के प्रावधानों से असंगत न हो, और जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए, आवश्यक समझे।

10. **नियम बनाने की शक्ति।–** राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी:

"परन्तु इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम

Now, therefore, Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the 70th year of republic of India are follows : -

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) The Bihar Reservation in Vacancies of Posts and Services and in Admissions in the Educational Institutions (for Economically Weaker Sections) Act, 2019.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. *Definitions- In this Act, unless the context otherwise requires -*

(a) *"Appointing authority/competent authority"* means in relation to services or posts in an establishment, an authority empowered to make appointment/a person who is responsible for admission in the case of educational institutions.

(b) *"Prescribed"* means prescribed by rules made under this Act and published in the Official Gazette ;

(c) *"Establishment"* means any office or departments of the state concerned with the appointment to the public service and post in connection with the affairs of the state and includes-

(1) A local or statutory authorities constituted under any state Act for the time being enforce, or

(2) a cooperative institution registered under the Bihar Co-operative society Act, 1935 (Act 6,1935) in which share is held by the State Government or which receives aid from the State Government in terms of loan, grant, subsidy etc. and

(3) Universities and colleges affiliated to the universities primary, secondary and High Schools and also other educational institutions which are owned or aided by the State Government, and

(4) an establishment in public sector.

(d) *"Establishment in public sector"* means any industry, trade, business or occupations owned, controlled or managed by –

(1) The State Government or any department of the State Government.

(2) A Government Company as defined in section 617 of the Company Act 1956 (Act, 1 of the 1956) or a corporation established by or under a Central or State Act, in which not less than 51% of the paid-up share capital is held by the State Government.

(e) *"Economically Weaker Sections"* means a person belonging to Economically Weaker Section as defined in the office Memorandum F. No. 36039/1/2019-Estt. (Res.) dated 19.01.2019 of D.O.P.T., Ministry of Personnel and Public Grievances and Pension, Government of India and as may be amended in future from time to time accordingly.

(f) *"Recruitment year"* means the calendar year during which a recruitment/admission is actually to be made.

(g) *"Reservation"* means reservation for Economically Weaker Sections in vacancies of posts and services in the State of Bihar and in the admissions in educational institutions.

(h) *"Merit list"* means the list of candidates arranged in order of merit prepared according to the provisions of this Act and orders as may be applicable for making appointments or for admission in educational institutions.

(i) *"State"* includes the Government , the Legislature and Judiciary of the State of Bihar and all local or other authorities and all type of Educational Institutions within the State or under the control of the State Government.

3. *Applicability for making recruitments :- (1) This act shall not apply in a relation to –*

(a) Any employment under the Central Government.

(b) Any employment in Private Sector.

(c) Any employment in domestic services

not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

11. *Exchange.*— If in any recruitment year or admission for a session candidates from Economically Weaker Sections are not available to the extent of the reservation percentage prescribed under this Act to be filled up by the reserved category, rest of the vacancies/seats shall be filled up by the candidates of open merit category in the same transaction or recruitment year.

12. *Overriding effect of the Act.*— Not withstanding any thing contrary in any other law and Rules for the time being in force any judgment or decree of a court, any order notification, circular, scheme, rule or resolution made or issued, the provision of this Act shall prevail.

Provided that any other law or rule for the time being in force, any order notification, circular, scheme resolution made, issued or passed prior to this Act, so far as it is not inconsistent with this Act, shall continue to be enforce and shall be deemed to have been made issued or passed under this Act.

By Order of the Governor of Bihar,
Jitendra Kumar,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
विहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
विहार गजट (असाधारण) 268-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in